Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 184 / 2024

मै0 रॉक वैली अपार्टमेन्ट्स रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसियेशन
निवासी– 222, सेवलां कलॉ, माजरा,
जी0एम0एस0 रोड, देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

दिनांक: 02.05.2025

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल की राशि समान्य राशि से दो गुना होने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि हमारी सोसाइटी में स्थापित विद्युत कनेक्शन सं0 SD0K000010544 हेतु जो विद्युत बिल उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा माह दिसम्बर 2024 का प्रेषित किया गया है, वह पूर्व में जारी बिल राशि से लगभग दो गुना से ज्यादा प्राप्त हुआ है, जबकि विभाग के कर्मियों द्वारा ही प्रतिमाह बिल की रीडिंग मीटर से ली जाती है, तथा पूर्व में कभी भी इस प्रकार की कोई विसंगति इस सम्बन्ध में प्रकट नहीं हुई है, विभाग द्वारा प्रतिमाह जो बिल जारी किया जाता है, उसका भुगतान चैक के माध्यम से विभाग को बराबर जमा कराया जा रहा है, माह दिसम्बर की जो बिल राशि अधिक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा जारी की गई है, उसका कोई भी कारण विभाग द्वारा नहीं बताया गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पावर

कारपोरेशन से स्पष्ट जानकारी प्राप्त करते हुए विभाग को न्याय संगत राशि का बिल जारी करने का निर्देश देने की कृपा करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 986, दिनांकित 07/02/2025 से मंच को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराया गया है:–

1. संयोजन सं0 SD0K000010544 , Secretary Rock Valley Appartment जी0एम0एस रोड, देहरादून के नाम से दर्ज है।
2. यह कि माह 11/2024 एवं माह 12/2024 के बिल निर्गत करने हेतु जब विभाग का मीटर रीडर परिसर पर पहुँचा तब वहॉ उपस्थित गार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मीटरिंग रूम की चाबी उनके पास नहीं रहती है तथा, चाबी समिति के इलेक्ट्रीशियन के पास होती है, दो बार परिसर की मीटर रीडिंग हेतु जाने के बाद भी मीटरिंग रूम की चाबी उपलब्ध नहीं हो पायी, जिस कारण माह 11/2024 एवं माह 12/2024 के बिल उपभोक्ता को एन0ए0 (Provisional) में निर्गत किये गये है।
3. तत्पश्चात् माह 01/2025 को उपभोक्ता को मापक की वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किया गया है, साथ ही उनके द्वारा जमा एन0ए0 (Provisional) के बिलों के भुगतान राशि को भी समायोजित किया गया है। वर्तमान में माह 02/2025 का बिल भी मापक की वास्तविक खपत के आधार पर निर्गत किया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु 11/24, 12/24 एवं 02/25 की बिलों एवं उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री संलग्न है।

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 28, दिनांकित 16/04/2025 से मंच को अवगत कराया है कि संयोजन सं0 SD0K000010544, जो कि Secretary Rock Valley Appartment जी0एम0एस रोड, देहरादून के नाम दर्ज है, के परिसर पर दिनांक 21.03.2025 को चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है एवं

दिनांक 03.04.2025 को दोनो मीटरों की रीडिंग का परीक्षण किया गया, जिसमें चैक मीटर एवं मुख्य मीटर की रीडिंग में कोई अन्तर नहीं पाया गया है (सीलिंग संलग्न)।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर उलब्ध चैक मीटर फाईनल सीलिंग प्रमाण संख्या 08/55 दिनांकित 03.04.2025 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का विद्युत मापक वास्तविक विद्युत खपत का आकलन सही प्रकार से कर रहा है। पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का भी मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 01.01.2025 को एम0आर0आई0 रिपोर्ट में वर्तमान रीडिंग 43317.23 KVAh है तथा कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में भी दिनांक 29.01.2025 की अंतिम रीडिंग 43317 KVAh अंकित की गई है, जिससे यह स्पट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किया गया है, जो नियामानुसार सही है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *स निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

02/05/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

02/05/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

02.05.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 189/2024

श्री राकेश कुमार भाटिया
फर्म अल्फा पैकेजिंग — परिवादी
निवासी– ई–29, यू0पी0एस0आई0डी0सी0
औद्योगिक क्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 09.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिलों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन निम्नवत् बिन्दुवार है–

शिकायत प्रस्तुत करने का कारणः–

1. विभाग द्वारा उपरोक्त कनेक्शन संख्या के विरूद्ध नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिक धनराशि का निर्धारण कर बिल जारी करना व शिकायत किये जाने पर भी काल्पनिक आधार पर पुनः बिल जारी करना ।
2. बिल के साथ धनराशि निर्धारण किये जाने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी प्रमाण व मीटर से संबंधित एम0आर0आई0 की रिर्पोट न प्रदान करना।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. इस संबंध में की जाने वाली कार्यवाही से पूर्व किसी प्रकार की सूचना, नोटिस अथवा अन्य किसी माध्यम से सूचना न प्रदान करना।
4. विवादित धनराशि के संबंध में शिकायत किये जाने के उपरांत भी समयानुसार कोई सकारात्मक व संतोषजनक कार्यवाही न किया जाना।
5. किसी भी प्रकार की सूचना इस संबंध में लिखित में न उपलब्ध कराया जाना।

शिकायत का विवरणः–

1. मैं उपरोक्त फर्म में साझेदार हूँ व मैं यू0पी0सी0एल0 का उपभोक्ता हूं। मेरे द्वारा यह कनैक्शन उद्योग श्रेणी में भार 25 किलो वाट का स्वीकृत करवाकर अपना उद्योग संचालित किया जा रहा है। कनैक्शन की तिथि से लेकर आज तक मैं अपने बिल का भुगतान समयानुसार विभाग को कर रहा हूं और मेरी कोई देयता विभाग को नहीं है। आपके अवलोकनार्थ पिछले वर्षो की बिल समरी व लोड फैक्टर सहित संलग्नक–1 के रूप में प्रस्तुत है।
2. कनेक्शन की तिथि से लेकर आज तक जो बिल मुझे प्रदान किया जा रहा है, उसमें मेरे द्वारा उपभोग किये जाने वाले लोड फैक्टर को व उपभोग किये जाने वाली यूनिट के रूप में लिखित रूप से विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। जिसमें उपभोग की जाने वाली यूनिट व लोड फैक्टर में परस्पर संबंध दिखाई देता है। इस बात को मेरे पिछले वर्षो में उपभोग की गई यूनिटों से वैरिफाई किया जा सकता है, दो माह से मुझे प्राप्त बिल में लोड फैक्टर व यूनिटो में अन्तर दिखाई पड़ा व मेरा बिल औसत से कम आया। इस बात की सूचना स्वयं मेरे द्वारा उपखण्ड अधिकारी व इनके कार्यालय में दी गई जिस पर कार्यवाही करते हुए एक चैक मीटर इसके साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया। दोनों को मिलान करने पर कुछ अंतर पाया गया व मेरे मीटर को उतार कर चैक मीटर को पुराने मीटर के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया व उसके उपरान्त नया सीलिंग प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया। सीलिंग प्रमाण पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष आंकलन करते हुए

18,33,444/– की धनराशि का बिल माह जनवरी 2025 में देय बिल में जोडकर भेज दिया गया व किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी दस्तावेजी प्रमाणपत्रों के साथ जिसमें आंकलन की गणना, इसको प्रमाणित करने वाले दस्तावेज इत्यादि उपलब्ध नहीं कराये गये। इसके साथ–साथ यह भी नहीं देखा गया कि आंकलन किस तिथि से प्रभावित होगा। किसी भी प्रकार की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई व न ही हमें कोई संतोषजनक उत्तर ही प्रदान किया गया। केवल इतना बताया गया कि मीटर सेक्शन से एक पत्र हमें प्राप्त हुआ है जिसमें हमें एक साल का आगणन करना है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि नियामक आयोग द्वारा एक साल का आगणन उस दिशा में किया जा सकता है जबकि उपभोक्ता का बिल एक साल से अधिक अवधि का आ रहा हो उस केस में अधिकतम अवधि एक वर्ष ही हो सकती है। यहॉ पर अन्य सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर आयोग द्वारा टैरिफ में प्रदान की गई शक्तियों का दुरूपयोग कर उपभोक्ताओं को मानसिक व शारीरिक दुख पहुंचाने के प्रयास से यह दुष्कृत्य किया गया है। मेरा हर माह का बिल एक औसत आधार पर 40,000/– से लेकर 60,000/– के मध्य आता था और यह ट्रैंड वर्षो से समान दिखाई पडता है। एक वर्ष में मेरे द्वारा उपभोग की जाने वाली यूनिटों का बिल भी वर्ष भर में 5 से 6 लाख के मध्य ही आता है। विभाग द्वारा आंकलन की गई धनराशि व वर्ष भर दी गई धनराशि को जोड दिया जाये तो यह धनाशि लगभग 25 लाख से अधिक हो जाती है जबकि इस मीटर से पूर्व अन्य स्थापित मीटरो पर व इस मीटर के बाद स्थापित मीटर पर भी इतनी रीडिंग प्राप्त नहीं की गई कि इतनी बड़ी धनराशि बन सके।

3. विभागीय कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार का आचरण/व्यवहार के कारण मुझे बहुत मानसिक आघात उतपन्न हुआ है व मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है।

4. मेरे द्वारा एक पत्र प्रेषित कर बिल को ठीक करने हेतु प्रार्थना पत्र लिया गया एवं उन्हें बताया गया कि विभागीय स्तर पर गलती हुई है व अनुरोध किया गया कि बिल की धनराशि को ठीक किया जाए। काफी समय बीत जा

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V. Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

के उपरांत आज दिनांक 11.02.2025 को सिस्टम पर अपडेटेड बिल की प्रति प्राप्त की गई जो आपके संज्ञान हेतु संलग्न है जिसमें वर्तमान माह के बिल की धनराशि 44,002.58/– व कुल बिल की धनराशि 1,66,616.00/– रू0 है। यह बिल भी पूरी तरीके से तथ्यों पर आधारित नहीं है व केवल काल्पनिक आधार पर जनरेट कर दिया गया है। अतः इस प्रकरण की पुनः जांच की आवश्यकता है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 801, दिनांकित 01/03/2025 से मंच को निम्न तथ्यों से अवगत कराया गया है–:

1 उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, सेलाकुई के कार्यालय पत्रांक 878 दिनांक 29.08.2024 के क्रम में सहायक अभियन्ता (मी0), विद्युत परीक्षणशाला, मोहनपुर देहरादून ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 23 दिनांक 12.11.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता मै0 अल्फा पैकेजिंग सेलाकुई, संयोजन सं0 MP0K000006774 के परिसर पर सीलिंग नं0 37/34 के द्वारा दिनांक 31.08.2024 को चैक मीटर स्थापित करा गया एवं सीलिंग संख्या 37/43 दिनांक 20.09.2024 के द्वारा चैक मीटर फाईनल किया गया। जिसमें यह संज्ञान में आया कि उपभोक्ता का मीटर 85.48 प्रतिशत स्लो पाया गया, साथ ही उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के मेन मीटर की एम0आर0आई0 नहीं हो पाने के कारण Assessment मा0 UERC द्वारा निर्गत Uttarakhadnd Electricity Regulatory Commission Notification October 29 2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connnections and Related Matters) विनियम 2020 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कुल निर्धारण रू0 17,86,127.00 उपभोक्ता के बिल में माह 12/2024 में जोड़ कर प्रेषित किया गया।

2. उपभोक्ता द्वारा उक्त निर्धारण के विरूद्ध अपना पक्ष दिनांक 13.01.2025 को पत्र के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक 5333 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा सहायक अभियन्ता (मी0) को मै0 अल्फा पैकेजिंग सेलाकुई, संयोजन सं0 MP0K000006774 पर पुराने मीटरों की एम0आर0आई0 लोड सर्वे सहित तथा बिल निर्धारण की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित कर आख्या खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

3. सहायक अभियन्ता (मी0), विद्युत परीक्षणशाला, मोहनपुर, देहरादून ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 200 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के मीटर में दिनांक 16.06.2024 से R-Phase की करंट शून्य अंकित हो रही थी एवं तीनो फेज में वोल्टेज भी कम अंकित हो रहा था तथा दिनांक 16.06.2024 से दिनांक 19.09.2024 तक 85.48% Slow के आधार पर Assessment बनाने हेतु सूचित किया गया। जिस पर पुनः धनराशि रू0 120277.00 का Revised Assessment बनाया गया तथा उपभोक्ता के बिल में समायोजित किया गया जोकि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 15.02.2025 को भुगतान भी कर दिया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के अनुसार परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत बिलों का तथ्यों के आधार पर सुधार करवाया जाए। परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सहायक अभियन्ता (मी0), विद्युत परीक्षणशाला, माहनपुर, देहरादून ने अपने कार्यालय पत्रांक सं0 200 दिनांक 22.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के मीटर में दिनांक 16.06.2024 से R-Phase की करंट शून्य अंकित हो रही थी एवं तीनो फेज में वोल्टेज भी कम अंकित हो रही थी, तथा दिनांक 16.06.2024 से दिनांक 19.09.2024 तक 85.48% Slow के आधार पर Assessment बनाने हेतु सूचित किया गया। जिस पर पुनः धनराशि रू0 120277.00 का Revised Assessment

बनाया गया तथा उपभोक्ता के बिल में समायोजित किया गया जोकि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 15.02.2025 को भुगतान भी कर दिया गया।

पत्रावली में उपलब्ध Load Survey-Energy Report का भी मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 16.06.2024 को Load Survey-Energy Report में R-Phase की करंट शून्य अंकित हो रही है, जिस कारण विपक्षी द्वारा परिवादी को Revised Assessment जारी किया गया जिसनें निर्धारण तिथि दिनांक 16.06.2024 अंकित की गई है, इससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित निर्धारण नियामानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

09/05/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/05/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

09-05-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM

V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 204/2024

Shri. [redacted] Singh V/s **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 09.05.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 08.05.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थित है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 2585 दिनांकित 07.05.2025 पत्रावाली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या VN26323923601 पर स्थापित विद्युत मापक वास्तविक खपत से अधिक की विद्युत खपत दर्ज कर रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को हमारे विद्युत मीटर की जॉच कराने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 2585 दिनांकित 07.05.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 08.05.2025 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 06.04.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया था जिसे दि 30.04.2025 को फाईनल किया गया, चैक मीटर रिर्पोट के अनुसार उपभोक्ता के मैन मीटर (SS15588089) एवं चैक मीटर (GU194642)में कोई खास अंतर नहीं पाया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक की जॉच चैक मीटर स्थापित कर की गई। चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक वास्तविक विद्युत खपत का सही आकलन कर रहा है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/05/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/05/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

09-05-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 205/2024

Shri. Mohan Singh **V/s** **Executive Engineer, EDD, Vikasnagar**

ORDER SHEET

Date- 19.05.2025

निर्णय

पत्रावली दिनांक 07.04.2025 को पेश हुई। परिवादी अनुपस्थित है। विपक्षी की ओर से सहायक अभियन्ता (राजस्व) उपस्थि है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या पत्रांक संख्या 2585 दिनांकित 07.05.2025 पत्रावली में शामिल है।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या VN26323095502 पर स्थापित विद्युत मापक वास्तविक ख से अधिक की विद्युत खपत दर्ज कर रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को हमारे विद्युत मीटर की जॉच क के उपरान्त नया विद्युत मापक लगाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1789 दिनांकित 05.04.2025 सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.20 को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता को संयोजन संख्या VN26323095502 के बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये जा रहे है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मापक को जॉचा गया जिससे यह VN26323095502 पर स्पष्ट है कि परिवादी के परि पर स्थापित विद्युत मापक वास्तविक विद्युत खपत का सही आकलन कर रहा है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वाद 3 चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरान्त उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रति प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

19/05/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

19/05/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

19.05

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 207/2024

श्रीमती अरूणा देवी गौड़ — परिवादी
निवासी– शेरगढ़ माजरी, बीच वाली गली
वार्ड नं0– 06, नियर मिलन केन्द्र, देहरादून

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक :–08.05.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अस्थाई विद्युत संयोजन को अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि अपने भवन निर्माण कार्य हेतु ग्राम– शमशेरगढ़ माजरी, बीच वाली गली, नजदीक मिलन केन्द्र, जिला– देहरादून, उत्तराखण्ड, पिन– 248140 के लिए लालतप्पड़ विद्युत कार्यालय में दिनांक 04 फरवरी 2025 को रू0 1000/– जमा किये थे, जिसकी रसीद प्राप्त हुई है। उक्त रसीद में सेवा कनेक्शन संख्या 210402251111 अंकित है, तथा उपभोकता का नाम अरूणा देवी गौड़ दर्ज है। महोदय संज्ञान में यह भी लाना है कि उपरोक्त राशि जमा किए जाने के पश्चात् भी आज दिनांक 17 फरवरी 2025 तक विद्युत विभाग द्वारा कोई भी अस्थायी विद्युत संयोजन प्रदान नहीं किया गया है। अतः फोरम से अनुरोध है कि मान्नीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के

प्रावधानों के नियमानुसार विभाग को निर्देशित कर हमें शीघ्र अतिशीघ्र अस्थायी विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 698, दिनांकित 27/02/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि श्रीमती अरूणा देवी गौड, निवासी– बीच वाली गली लाईन, वार्ड नं0– 06, नियर मिलन केन्द्र, शेरगढ़, माजरी द्वारा (आवेदन संख्या–979040225001) दिनांक 04.02.2025 को नये अस्थाई संयोजन हेतु आवेदन किया गया। अवर अभियन्ता लालतप्पड द्वारा स्थलीय निरीक्षण हेतु आवश्यक प्राकलन तैयार किया गया। उक्त प्राकलन (धनराशि रू0 418270.00) अधिशासी अभियन्ता, डोईवाला द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त प्राकलन की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही संयोजन निर्गत करने की आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त के संबंध में अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 6851, दिनांकित 12/03/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 04.02.2025 को नये अस्थायी संयोजन हेतु (आवेदन संख्या 979040225001) आवेदन किया गया था। जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता को रू0 418270.00 का डिमांड नोट उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त डिमांड नोट UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 की धारा 3.2.3 (9) (b) के अन्तर्गत तैयार किय गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। अतः शिकायतकर्ता द्वारा उक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ई–मेल के माध्यम से परिवादी द्वारा मंच से निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा अपने निर्माणाधीन भवन का निर्माण कार्य जनरेटर के माध्यम से पूर्ण करा लिया गया है, जिस कारण अब परिवादी को अस्थायी विद्युत संयोजन की जगह स्थायी विद्युत

संयोजन की आवश्यकता है, जिस कारण परिवादी द्वारा अस्थायी संयोजन अवमुक्त न करने के संबंध में मंच के समक्ष योजित वाद को वापिस लिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों के उपरान्त उक्त शिकायत आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद निस्तारित किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरान्त उक्त वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 214/2024

श्री शुभम शर्मा — परिवादी
निवासी– परम विहार लेन नं0 2,
सहस्त्रधारा रोड़, निकट नालापानी चौक,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 08.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत संयोजन को निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन निम्नलिखित बिन्दुवार है:–

1. श्रीमती आंकाक्षा शर्मा, निवासी– परम विहार लेन नं0 2, सहस्त्रधारा रोड़, निकट नालापानी चौक, देहरादून की निवासिनी है। प्रार्थीनी के पति श्री शुभमं शर्मा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में कार्यरत हैं तथा उनकी तैनाती देहरादून से बाहर ही रहती है वर्तमान में स्थान पंजाब में तैनात है।

2. प्रार्थीनी के जेठ नीतिश शर्मा, जेठानी अंजली शर्मा व जेठानी के दोनो भाई हितेश शर्मा और गौरव शर्मा (ससुराल पक्ष) प्रार्थीनी के ससुर स्व0 नन्द किशोर शर्मा की सम्पूर्ण सम्पत्ति को हडपना चाहते है उन्होने प्रार्थीनी की सास

श्रीमती सुनिता शर्मा को भी बहला फुसलाकर व उक्साकर अपने वश में कर रखा है, आपस में मिलकर एक साजिश के तहत ये लोग प्रार्थिनी का उत्पीड़न करते है और अपनी इसी साजिश के तहत आये दिन प्रार्थीनी के अध्यासन वाले प्रथम तल की बिजली आपूर्ति को बन्द कर देते है। जिससे आये दिन बिजली आपूर्ति बंद रहने के कारण प्रार्थीनी एवं प्रार्थीनी के दो वर्षीय पुत्र को अत्याधिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है। बिजली न होने के कारण प्रार्थीनी का पुत्र अक्सर बीमार हो जाता है।

3. उपरोक्त विकट परिस्थितियों के कारण प्रार्थीनी के पति द्वारा अपने नाम से अलग विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.10.2024 को विद्युत विभाग में उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड उत्तराखण्ड पावर कारपारेशन लि0 सहस्त्रधारा रोड देहरादून विद्युत कनेक्शन का फार्म भर कर जमा किया गया था।

4. महोदय बिन्दु संख्या तीन के क्रम में विद्युत कार्यालय के उपखण्ड अधिकारी अन्य अधिकारी/कर्मचारी लगभग डेढ माह तक प्रार्थीनी व प्रार्थीनी के पति को लगातार विद्युत विभाग के चक्कर लगवाते हुए परेशान करते रहे परंतु विद्युत संयोजन लगाने की दिशा में उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया।

5. महोदय काफी परेशान होकर न्याय पाने की आशा में प्रार्थीनी अपने पति के नाम से अलग विद्युत संयोजन लगवाने हेतु प्रार्थाना पत्र लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार में उपस्थित हुई। मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता को सख्त लहजे में मूल अधिकरों/मानवाधिकारों की याद दिलाते हुए विद्युत संयोजन लगवाने हेतु आदेशित किया गया, परंतु उक्त आदेश तथा मानवता को दरकिनार करते हुए विद्युत संयोजन नहीं लगाया गया। इस के उपरान्त भी विद्युत संयोजन लगवाने की आस/उम्मीद लिएं प्रार्थीनी कई बार अपनी प्रार्थनाओं को लेकर मा0 जिलाधिकारी महोदय के जनता दरबार में उपस्थिति हुई पर विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्राक 506, दिनांकित 03/04/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री शुभम शर्मा द्वारा दिनांक 11.12.2024 को नये विद्युत संयोजन हेतु आवदेन फार्म भरकर कार्यालय में दिया गया था किन्तु इनकी माता श्रीमती सुनीता शर्मा की लिखित आपत्ति के कारण उक्त संयोजन निर्गत किया जाना संभव नहीं हो सका। तत्पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्रीमती सुनीता शर्मा को पत्र सं0 335 दिनांक 12.12.2024 के द्वारा कनैक्शन न दिये जाने के विस्तृत कारणों यथा साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसका जवाब उनके द्वारा दिनांक 26.12.2024 को प्राप्त हुआ इसके पश्चात् श्रीमती आकांशा तिवारी शर्मा द्वारा मान्नीय जिलाधिकारी महोदय देहरादून के समक्ष जनता दरबार दिनांक 10.02.2025 को विद्युत संयोजन निर्गत किये जाने हेतु शिकायत दर्ज की गयी। जिस पर मान्नीय जिलाधिकारी महोदय ने नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अधिशासी अभियन्ता महोदय विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर) देहरादून को दिये गये। तत्पश्चात् दिनांक 11.02.2025 को श्री शुभम शर्मा के आवेदन फार्म को ऑनलाईन पोर्टल पर नये विद्युत संयोजन हेतु रजिस्ट्रेशन कर दिया गया एवं उनके द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्जेस व जमानती धनराशि जमा किये जाने के पश्चात् विद्युत संयोजन का मीटर स्थापित करने हेतु लाईन स्टाफ भेजा गया तो उनकी माता श्रीमती सुनीता शर्मा व घर के अन्य सदस्यों द्वारा न तो मीटर लगाने दिया गया न ही संयोजन जोड़ने दिया गया। इसी मध्य श्रीमती आंकाशा तिवारी शर्मा व श्री शुभम शर्मा द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि विद्युत विभाग हमारा मीटर सथापित कर संयोजन पुलिस की उपस्थिति में करें। इस प्रकार दिनांक 16.02.2025 को अवर अभियन्ता द्वारा पुनः लाईन स्टाफ साईट पर भेजकर नजदीकी खम्बों पर मीटर स्थापित कर दिया गया किन्तु उनकी माताजी व अन्य सदस्यों के विरोध कारण मीटर से घर की वायरिंग तक सर्विस केबिल नही जुड़ पायी। पुनः कार्यालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक) सदर देहरादून के पत्रांक 21/एस0पी0ए0–2025 दिनांक 27.02.2025 के कम में अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग व थानाध्यक्ष रायपुर को आदेशित किया गया कि

जिलाधिकारी महोदय का पूर्व मे निर्गत आदेश दिनांक 25.02.2025 को निरस्त किया जाता है। श्री शुभम शर्मा को अलग सब मीटर लगाया जाय। चूँकि सब मीटर (जो कि उपभोक्ता के परिसर पर अपना व्यक्तिगत होता है) पूर्व से स्थापित है इस प्रकार स्थिति वर्तमान तक पूर्व जैसी यथावत है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से मंच के संज्ञान में आया कि परिवादी की मूल शिकायत विद्युत विभाग द्वारा उन्हें नया विद्युत संयोजन अवमुक्त न किये जाने के संबंध में है। परिवादी की शिकायत के क्रम में मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 07.04.2025 को श्रीमती सुनिता शर्मा, नि0 परम विहार, लेन नं0 2, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को तृतीय पक्ष बनाकर सुनवाई तिथि दिनांक 17.04.2025 को मंच के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

परिवादी की शिकायत के क्रम में सुनवाई तिथि दिनांक 05.05.2025 को उभक्ष पक्षों संग तृतीय पक्ष द्वारा बहस की गई, विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा मंच को अपनी आख्या पत्रांक संख्या 506 दिनांकित 03.04.2025 के साथ सलग्न उप जिलाधिकारी (न्यायिक) सदर के पत्र संख्या 21/एस0पी0ए0– 2025 दिनांक 27.02.2025 का उल्लेख किया गया जिस में अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग को निम्न निर्देर्शित किया गया है कि:– *जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये मौखिक निर्देशों के अनुपालन में उक्त निर्गत आदेश दिनांक 25.02.2025 को निरस्त किया जाता है। चूंकि श्रीमती सुनिता शर्मा द्वारा एक वाद माता–पिता भरण–पोषण अधिनियम के अन्तर्गत वाद संख्या 01/2025 श्रीमती सुनीता शर्मा बनाम श्री शुभम शर्मा आदि में सुनवाई गतिमान है, उक्त वाद के निस्तारण तक वादिनी श्रीमती सुनिता शर्मा जो भू–तल पर निवासरत है, एवं विपक्षीगण शुभम शर्मा आदि प्रथम तल पर निवासरत है, जिस हेतु आपको निर्देशित किया जाता है, कि दोनों पक्षों के मध्य अलग–अलग रूप से सब मीटर लगाया गया है।*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मकान पर भविष्य में दोनों पक्षों के मध्य होने वाले वाद–विवाद व विद्युत बिल के भुगतान के कारण शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है, जिस कारण उनके मध्य पृथक रूप से सब मीटर स्थापित सुनश्चित करें। तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दोनों पक्षों को वाद में अन्तिम आदेश तक उक्त विद्युत संयोजन पर किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए। उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाए।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच के संज्ञान मे आया है कि जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी महोदय के द्वारा उपरोक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन पर किसी भी प्रकार की छेडखानी न की जाऐ संबंधी आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में परिवादी का कथन है कि उन्हें उक्त परिसर पर नया विद्युत संयोजन प्राप्त करना है, तर्कसंगत एंव न्यायोचित नहीं है। इस परिस्थित में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता है। अतः वाद खारित किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त परिस्थियों उपरात उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

08/05/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

08/05/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

08.05.2025 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 215/2024

श्रीमती रीटा रानी — परिवादी
निवासी– 23 मन्नूगंज डांडीपुर
नियर मोती बाजार, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 13.05.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि उनका विद्युत संयोजन संख्या CD22118234647 है। उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि प्रार्थिनी को दिनांक 28.01.2025 को रू0 70,000.00 का बिल प्राप्त हुआ, तत्पश्चात् विभाग द्वारा मेरे परिसर पर चैक मीटर लगाया गया जिसमें प्रार्थिनी का मीटर चैक मीटर से कई गुना तेज पाया गया। महोदय प्रार्थिनी के पुराने मीटर को बदल दिया गया परन्तु आज दिनांक तक अत्याधिक आये बिल को नही सुधारा गया है अपितु प्रार्थिनी की विद्युत सेवा को भी विच्छेदित कर दिया गया है। अतः प्रार्थिनी मंच से आग्रह करती है कि कृपया प्रार्थिनी का बिल सुधार दिया जाये व अग्रिम आदेश तक प्रार्थिनी के संयोजन को विच्छेदित न किया जाये।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारणं मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 163, दिनांकित 24/03/2025 से मंच को आख्या बिन्दुवार अवगत कराया जो कि निम्नवत् है:–

1 उपभोक्ता के संयोजन संख्या CD22118234647 अक्सर विद्युत बकायादारों की सूची में आता था। इस वर्ष राजस्व वसूली के कार्यो में उपरोक्त संयोजन बकायेदारों की सूची में न होने पर दिनांक 28.01.2025 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान उक्त विद्युत संयोजन की जांच करने पर मीटर संख्या GU821870 में 14315 रीडिंग पायी गयी, जबकि उपभोक्ता के माह दिसम्बर 2024 के बिल में मीटर रीडिंग 4693 दर्शायी गई थी।

2. उपरोक्त मीटर संख्या GU821870 की एम0आर0आई0 करने पर भी रीडिंग 14315 ही पायी गयी। उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर हेतु किये गये आवेदन के कम में दिनांक 31.01.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया था। दिनांक 18.02.2025 को चैक मीटर फाईनल करने पर पुराना मीटर संख्या GU821870 तेज चलना पाया गया।

3. उपखण्ड कार्यालय के पत्रांक सं0 111 दिनांक 24.02.2025 द्वारा सहायक अभियन्ता मीटर को इस संबंध में अवगत करवाया गया उनके द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 265 दिनांक 03.03.2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि मीटर सं0 GU821870 की एम0आर0आई0 विश्लेषण करने पर पाया गया कि उक्त मीटर दिनांक 30.01.2025 तक सही कार्य कर रहा था। परन्तु इसके पश्चात् मीटर टेम्पर पाया गया है।

4. एम0आर0आई रिर्पोट से स्पष्ट है कि उपभोक्ता की मीटर रीडिंग सही थी तथा मीटर रीडर द्वारा जानबूझकर रीडिंग के बिल बनाकर उपभोक्ता को लाभ पहुँचाया गया है, जिसमें उपभोक्ता की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है।

5. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 Interference with meters or works of licensee के अनुसार

"who ever…..

(d) maliciously injures any meter, indicator, or apparatus belonging to a licensee or willfully or fraudulenty alters the index of any such meter, indicator or apparatus or prevents any such meter, indicator or apparatus from duly registering shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both, and, in the case of a continuing offence, with a daily fine which may extend to fice hundred rupees; and if it is proved that any means exist for making such connection as is referred to in cl. (a) or such re-connection as is referred to in cl. (b), or such communication as is referred to in cl. (c), for causing such alternation or prevention as if referred to in cl. (d), **and that the meter, indicator or apparatus is under the custody or control of the consumer, whether it is his property or not, *it shall be presumed, until the contrary is proved,*** that such connection, reconnection, communication, alternation, prevention or improper use, as the case may be, ***has been knowingly and wilfully caused by such consumer.***

6. एम0आर0आई रिर्पोट तथा विद्युत अधिनियम की धारा 138 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा एम0आर0आई0 रिर्पोट के अनुसार विद्युत बिलों का भुगतान देय है। बिल की प्रति संलग्न है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि परिवादी की 22.12.2024 से पूर्व के विद्युत बिल चक्र में विद्युत खपत लगभग समान थी, परन्तु दिनांक 22/12/2024 से 18/02/2025 (मीटर बदले जाने की तिथि) तक 12118 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी नहीं है।

विपक्षी द्वारा दो बिल चक्रों अर्थात् 59 दिनों में (22/12/2024 से 18/02/2025 तक) पुराने विद्युत मापक की दर्शायी गयी 12118 यूनिट (16811–4693) की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार भी अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन (12118/59 = 205.38) अर्थात् 205 यूनिट की विद्युत खपत असंभव है।

पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी की आख्या के साथा संलग्न सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षणशाला (के0)की आख्या के अनुसार वर्ष 2025 में दिनांक 25.01.2025 में उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर शिकायत की गई तथा दिनांक 31.01.2025 में उपभोक्ता के बार–बार आग्रह करने पर चैक मीटर लगाया गया तथा, मेन मीटर Creep पाया गया, जिसके लिए उसे इलै0लैब, 18 ई0सी0रोड़, देहरादून कार्यालय में टेस्ट कर एम0आर0आई0 की गई। उक्त मीटर विद्युत इलै.लैब में Defective (Creep) पाया गया।

विपक्षी की आख्या के साथ संलग्न सहायक अभियन्ता की आख्या से स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत मापक में तकनीकि खराबी रही है, जिसके कारण Billing Data Report दिनांक 21.02.2025 में परिवादी के विद्युत मापक की Max demand 17.693 दर्ज की गई है, जो कि 2 किलोवाट के विद्युत संयोजन पर संभव नहीं है, जिसके पश्चात् उक्त विद्युत मापक को परीक्षण शाला में जॉच हेतु भेजा गया जहा पर उक्त मीटर विपक्षी की आख्या अनुसार Defective (Creep) पाया गया, जिस्से यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.12.2024 से उक्त विद्युत मापक बदले जाने की

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

तिथि दिनांक 18.02.2025 तक प्रेषित विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक खपत के नहीं है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 22/12/2024 से विद्युत मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 18/02/2025 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पुराने मीटर की खपत गणना हेतु पूर्व की तीन बिल चक्रों (11/2024, 10/2024 एवं 09/2024) की औसत खपत क्रमशः (377+500+405/3= 427.33 यूनिट) अर्थात् 427 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 22/12/2024 से विद्युत मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 18/02/2025 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पुराने मीटर की खपत गणना हेतु पूर्व की तीन बिल चक्रों (11/2024, 10/2024 एवं 09/2024) की औसत खपत क्रमशः (377+500+405/3= 427.33 यूनिट) अर्थात् 427 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13/05/2025	13/05/25	13-05-2025
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

ctricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480C
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 216 / 2024

श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठा
निवासी– राजीव जुयाल मार्ग, ब्राहम्णवाला
नियर रेन रिवर स्कूल, निरंजनपुर माजरा
देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम

दिनांक: 28.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding payment of compensation for the electrical appliances damaged due to voltage fluctuations.

The Complainant submits and prays as under:-

I am writing to formally lodge a complaint against Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL) for negligence in maintaining electrical infrastructure which has resulted in damage to electrical appliances at my residence and an unfair charge for meter replacement. On 7th January 2025, my residence experienced severe voltage fluctuations due to UPCL's faulty power supply. A neutral failure occurred, and both phase currents were supplied without a neutral line, causing multiple

electrical appliances to get damaged. Despite immediately lodging a complaint (Complaint no 20701250824) UPCL failed to take timely action. I also visited the UPCL sub divisional office, but they refused to take responsibility for issue. My electrical meter burnt out, and UPCL has unfairly charged me for its replacement, even though the fault was on their end. Multiple electrical appliances were damaged due to the unstable power supply. Damages & Estimated Loss:-

1. 8 ceiling lights – Rs 200 each (total Rs. 1,600)
2. 1 Laptop charger – completely damaged, worth Rs. 5,000
3. R.O. water purifier motor – replacement cost Rs. 1,500

Total Estimate Loss Rs. 8,100

Violation of Consumer Rights:-

1- Right to safety: UPCL failure to maintain a stable voltage supply endangered my household.
2- Right to Redressal: My initial complaint was ignored, causing financial loss and an unjust meter replacement charge.
3- Right to fair Service: Under the Electricity Act, 2003, UPCL is responsible for providing a safe and stable supply, with they failed to do.

Relief Sought:

1. Immediate reversal of the unjust meter replacement charge as the damage was caused by UPCL's faulty supply.

2. Compensation of Rs. 8,100 for the damaged electrical appliances caused due to voltage fluctuations.
3. A detailed report explaining why my complaint was ignored despite clear power supply issues.

Kinldly request your intervention to direct UPCL to resolve my grievance at the earliest.

उपरोक्त के संन्दर्न में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 883, दिनांकित 24/03/2025 से मंच को निम्न बिन्दुवार द्वारा अवगत कराया गया है:–

1. उपभोक्ता श्री अनुपम कुलश्रेष्ठा द्वारा दिनांक 07.01.2025 को समय 19:24 को विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसे समय 21:30 पर पोल से न्यूट्रल हटे होने के कारण स्टाफ द्वारा सही कर आपूर्ति सुचारू कर ली गई थी, जो कि SOP Regulation 2007 के अधीन समयांतर्गत है। उपरोक्त फीडर एवं परिवर्तक पर आपूर्ति सुचारू पाई गई एव ना ही उपभोक्ता या क्षेत्रवासियो द्वारा इस कार्यालय को कोई विद्युत उपकरण मरम्मत के बीजक उपलब्ध कराये है। अतः इस विषय पर प्रतिपूर्ति हेतु कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।
2. जले मीटर हेतु मीटर स्कंध द्वारा जो शुल्क लगाया है उसे विवादस्पद मानते हुए हटा दिया गया है।
3. उपभोक्ता की शिकायत सं0 20701250823 को निर्धारित समयातर्गत समाधान कर दिया गया था, जिस पर देरी हेतु शिकायत की अनदेखी प्रतीत नहीं होती है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र से स्पष्ट है कि उनकी मूल शिकायत दिनांक 07.01.2025 को वोल्टेज के उतार/चढाव के कारण उपकरणों को क्षति के क्रम में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने में उक्त वाद योजित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी उपरोक्त विस्तृत आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी के अनुसार श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा दिनांक 07.01.2025 को समय 19:24 को विद्युत आपूर्ति बाधित होने की शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसे समय 21:30 पर पोल से न्यूट्रल हटे होने के कारण स्टाफ द्वारा सही कर आपूर्ति सुचारू कर दी गई थी, जो कि SOP Regulation 2007 के अधीन समयांतर्गत है। उपरोक्त फीडर एवं परिवर्तक पर आपूर्ति सुचारू पाई गई एव ना ही किसी उपभोक्ता या क्षेत्रवासियों द्वारा इस कार्यालय को कोई विद्युत उपकरण मरम्मत के बीजक उपलब्ध कराये है। अतः इस विषय पर प्रतिपूर्ति हेतु कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच द्वारा मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, Standard of Performance Regulations, 2022** के विनियम **10** का संज्ञान लिया गया। उपरोक्त विनियन से स्पष्ट है कि पोल से न्यूट्रल हट जाने की घटना **Force-Majeure Condition** की श्रेणी में आती है क्योंकि विपक्षी की उपरोक्त घटना पर कोई युक्ति युक्त नियंत्रण नही था। अतः विपक्षी द्वारा किसी कार्य निष्पादन के मानक का उल्लंघन नही किया गया इसके अतिरिक्त **UERC (Standard of Performance) Regulations, 2022 Schedule III (Guaranted Standards of Performance and Compensation to affected person in Case of Default)** के क्लाज 5– **Damage to consumer's apparatus due to voltage fluctuations [If apparatus of more than one consumer in close neighbourhood are affected and subject to physical verification of the damaged apparatus by the Licensee within 72 hours followed by submission of documentary evidence by affected consumer with regard to expenses incurred on repair charges and its verification by the Licensee] In case of replacement or exchange of any damaged apparatus/ equipment with new one the compensation shall be limited to the extend of repair**

charges mentioned in this clause subject to the production of original bill and its verification by the Licensee से स्पष्ट है कि एक से अधिक उपभोक्ताओं द्वारा हाई वोल्टेज के कारण विद्युत उपकरण जलने की लिखित शिकायत किये जाने की स्थिति में ही क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। उक्त के संबंध में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में किसी अन्य उपभोक्ता के मीटर अथवा घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त होने की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। स्पष्ट है कि परिवादी के पोल से न्यूट्रल हट जाने के कारण घर में हाई वोल्टेज होने की स्थिति उत्पन्न हुई तथा घरेलू उपकरण क्षतिग्रस्त हुए। इस घटना पर विपक्षी का कोई युक्ति युक्त नियंत्रण नहीं था। अतः उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच इस मत का है कि उक्त घटना **Force-Majeure Condition** की श्रेणी में आती है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाना तर्कसंगत एवं न्योचित नही होगा।

आदेश

उपरोक्त परिस्थिति उपरान्त प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/05/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/05/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

28-05-2
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 218 / 2024

श्री घनश्याम — **परिवादी**
निवासी– बड़ा भारूवाला, क्लेमेनटाउन
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 07.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री रजनीश माथुर — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा नाम घनश्याम है। मै बडा भारूवाला का रहने वाला हूँ मेरा बिल कम आता था परन्तु 02 फरवरी से मेरे घर का बिल ज्यादा बढकर आ रहा है। मै बिल को देने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवदेन करता हूँ कि इस समस्या को जल्द ही दूर करने की कृपा करे।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763872–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 30, दिनांकित 16/04/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं0– SD15537082345 के मीटर का अवलोकन करने पर पाया गया है कि उपभोक्ता को वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल प्रेषित किया गया है।

मंच द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी उपखण्ड अधिकारी को विवादित विद्युत मापक की एम0आर0आई0 किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, उक्त के अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के संयोजन सख्या SD15537082345 के मीटर की एम0आर0आई0 हेतु सहायक अभियन्ता (मीटर) को पत्र प्रेषित किया गया, परन्तु उक्त मीटर अधिक पुराना होने के कारण एम0आर0आई0 नहीं हो पायी।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की विवादित बिल चक्र फरवरी 2025 से पूर्व एवं इस के उपरान्त के विद्युत बिल चक्र में विद्युत खपत लगभग समान थी, परन्तु दिनांक 29/12/2024 से 22/02/2025 अर्थात् 56 दिनों मे 4217 यूनिट का बिल प्रेषित किया गया जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि न तो उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी रही है न ही उक्त विवादित विद्युत बिल चक्र के बाद।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

विपक्षी द्वारा एक बिल चक्र में 56 दिनों में (29/12/2024 से 22/02/2025 तक) विद्युत मापक की दर्शायी गयी 4217 यूनिट की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार भी अधिकतम मॉग तथा उक्त विवादित बिल चक्र से पूर्व एवं बाद की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन (4217/56 = 75.30) 75 यूनिट की विद्युत खपत असंभव है। इस खपत को तकनीकि रूप से साबित करने में विपक्षी नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी को दिनांक 29/12/2024 से दिनांक 22/02/2025 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व के तीन बिल चक्रों (12/2024, 02/2024 एवं 01/2024) (माह 11/2024 मे निर्गत 703 यूनिट के बिल को औसत खपत गणना में नही लिया गया है क्योकि विपक्षी द्वारा परिवादी को यह बिल नौ माह के अंतराल के बाद निर्गत किया गया है।) की औसत खपत क्रमशः (500+302+370/3=390.66 यूनिट) अर्थात् 391 यूनिट के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 29/12/2024 से दिनांक 22/02/2025 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पुराने मीटर की खपत गणना हेतु पूर्व के तीन बिल चक्रों (12/2024, 02/2024 एवं 01/2024) (माह 11/2024 मे निर्गत 703 यूनिट के बिल को औसत खपत गणना में

न लिया जाये क्योंकि विपक्षी द्वारा परिवादी को यह बिल नौ माह के अंतराल के बाद निर्गत किया गया है।) की औसत खपत क्रमशः (500+302+370/3=390.66 यूनिट) अर्थात् 391 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

07/05/2025 | 07/05/25 | 07.05.2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 220/2024

श्री मदन लाल चौधरी — परिवादी
निवासी– 42 मधुविहार, साईलोक, जीएमएस रोड,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 16.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी के कथनानुसारं वह अपने मधुविहार आवास में पिछले 12 साल से रह रहा है। मेरा विद्युत बिल सामान्यतः 5000 से 7000 रूपयों के बीच आता था। किन्तु, दिसम्बर 2024 का विद्युत बिल 58,000 रूपये आया है जो असमान्य से अधिक है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस विषय की जांच कर मुझे उचित समाधान प्रदान करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 927, दिनांकित 08/04/2025 से मंच को अवगत कराया है कि सहायक अभियन्ता, नगरीय परीक्षण शाला (दक्षिण) की आख्यानुसार सम्बन्धित मापक (9544808) की एम0आर0आई0 नहीं हो पा रही है, जिस कारण वांछित द्वारा एम0आर0आई0 हेतु संबंधित फर्म को भेजा गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 07.03.2024 से 14.12.2024 अर्थात् 10 बिल चक्रों में RDF के आधार पर बिल प्रेषित किये गये ,जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

विपक्षी द्वारा विवादित विद्युत मापक संख्या 09544808 के संबंध में एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त एम0आर0आई0 रिपोर्ट में दिनांक 08.11.2024 को **KWH** रीडिंग 9150.37 प्रदर्शित हो रही है।

परन्तु यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के तहत खराब विद्युत मीटर को बदले जाने की प्रकिया तथा विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग हेतु स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है।' अत: इस परिस्थिति में परिवादी को बिल दिनांकित 07.03.2024 से दिनांक 14.12.2024 अर्थात् 10 विद्युत बिल चक्रों में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रेषित आर0डी0एफ0 के बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को बिल दिनांकित 07.03.2024 से दिनांक 14.12.2024 अर्थात् 10 विद्युत बिल चक्रों में प्रेषित आर0डी0एफ0 के बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 08 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना सुनिश्चित करें

। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/25
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16/05/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

16.05.25
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 222/2024

श्री राम बाबू दास
निवासी– 219 शास्त्री नगर, सीमाद्वार
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 09.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरे घर का बिजली का बिल एक वर्ष से बहुत अधिक आ रहा है, कई बार जिसकी शिकायत विद्युत कार्यालय वसंत विहार में की गई तो उन्होनें विद्युत मीटर को बदल दिया, फिर भी उसके बाद दिनांक 18.03.2025 को विद्युत बिल रू0 4964.00 का आया तो उसके बाद विद्युत कार्यालय में गये तो उन्होनें बताया कि आपका बिल आई0डी0एफ0 में आ रहा है। रीडिंग के हिसाब से विद्युत बिल भी नहीं दे रहे है, हर बार हमसे बिल जमा

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

करवाते है और कहते है कि अगली बार ठीक हो जायेगा परन्तु होता नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस पर उचित कार्यवाही करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ मे विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 42, दिनांकित 05/04/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री राम बाबू दास, निवासी 219, शास्त्रीनगर, सीमाद्वार, देहरादून के परिसर पर खराब विद्युत मीटर परीक्षण खण्ड द्वारा दिनांक 06.01.2025 को बदल दिया गया। मीटर बदलने के उपरांत विद्युत बिल आई0डी0एफ0 से मीटर की वास्तविक रीडिंग के अनुसार संशोधित कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई तिथि दिनांक 28.04.2025 को विद्युत बिल संशोधित किये जाने हेतु निर्देर्शित किया गया था, जिसके अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 08.05.2025 को अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता का विद्युत बिल संशोधित कर दिया गया है, जिसके पश्चात् परिवादी का विद्युत बिल ऋणात्म (–907) रू0 हो गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/05/2025 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

09/05/25 — (रजनीश माथुर) तकनीकी सदस्य

09-05-20.. — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

प्रकीर्ण परिवाद सं0 01/2025

श्रीमती अमनदीप कौर, परिवादी
निवासी–कण्डौली,
अपर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,(मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक : 16.05.2025
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रर्कीण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 112/2024 श्रीमती अमनदीप कौर, निवासी– कण्डौली, अपर देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (मोहनपुर) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 22.01.2025 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के अनुसार मंच द्वारा वाद संख्या 112/2024 में पारित निम्न आदेश *"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि माननीय Uttarakhand Electricity Regulatory Commission के विनियम UERC*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

(The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के विनियम (2.1) (4) की तालिका 2.1 Classification of supply on the basis of contracted load/demand and voltage के क्रम सं० (ii) के अनुसार परिवादी के 15 कि०वा० विद्युत संयोजन 400V-3 फेज पर निर्गत किया जाये तथा वर्णित UERC के विनियम UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connection and Related Matters) Regulations, 2020 के उपविनियम 3.3.3 की तालिका 3.5 के अनुसार ही परिवादी से सर्विस लाईन चार्जेज, ओवर हैड लाईन चार्जेज, प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज ही लिये जाएं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त विनियम के उपविनियम 3.3.1(3) के द्वितीय परंतुक के प्रविधानो के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता HVDS के माध्यम से 25 कि०वा० तक के भार के लिये संयोजन लेने की इच्छा रखता हो तब केवल उसी परिस्थिति में वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसका 25 कि०वा० तक का संयोजन HVDS के माध्यम से निर्गत कर सकता। तत्काल याचिका में प्रस्तुत तथ्यों/दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से इस सम्बन्ध में कोई पूर्व सहमति प्राप्त नही हुई। मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रस्तुत प्राक्कलन माननीय UERC के विनियमों के विपरीत है तथा परिवादी से अधिक धनराशि वसूली गई है। मंच विपक्षी को आदेशित करता है कि विपक्षी परिवादी को 15 कि०वा० संयोजन हेतु अनुमन्य संशोधित प्राक्कलन निर्गत करे तथा उपरोक्त विनियमों का उल्लघन कर परिवादी से वसूल गई अधिक धनराशि को लौटाया जाना सुनिश्चित करें। विपक्षी आदेश की अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंतर्गत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।" का विद्युत विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तिथि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 03/04/2025 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 22.01.2025 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।"

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 9216 दिनांकित 13.05.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा शिकायतकर्ता श्रीमती अमनदीप कौर को चैक सं0 885200 दिनांक 13.05.2025 के माध्यम से धनराशि रू0 310000.00 वापस कर दी गयी है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 22.01.2025 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 22.01.2025 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी की आख्या अनुसार रू0 11638.00 जमा करा दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

16/05/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

16-05-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 03/2025

श्री माहिदीप सिंह राणा पुत्र श्री रामस्वरूप सिंह राणा — परिवादी
निवासी– 46 लेन नं0–3, न्यू डी ब्लाक सरस्वती विहार
अजबपुर खुर्द, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 16/05/2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरे द्वारा दुकान हेतु विद्युत कनेक्शन नं0 CD67166473413 माता मन्दिर रोड, नियर रेलवे क्रोसिंग पर लिया गया था जो कि मेरे द्वारा उक्त दुकान किराये पर दी गयी थी, किरायेदार द्वारा उक्त दुकान माह 05/2023 में खाली कर दी गई थी, उसके बाद से कोई किरायेदार नही है और उक्त दुकान आज दिनांक तक बन्द है। माह 02/2024 में विभाग द्वारा उक्त मीटर खराब होने पर बिल आई0डी0एफ0 में निर्गत किया गया है जो कि 1656 यूनिट का दिया गया है साथ ही उक्त मीटर को माह 24.08.2024 में बदला गया जिस कारण आई0डी0एफ0 में

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

बिल बनने पर खराब मीटर की औसतन 609 यूनिट ली गई है जो कि नियमानुसार गलत है। महोदय आज दिनांक तक उक्त दुकान खाली है फिर भी रू0 20825.00 का बिल निर्गत किया गया है मेरे द्वारा कई बार कार्यालय में जाकर उक्त बिल ठीक करवाने की शिकायत की गई है साथ ही दिनांक 24.08.2024 को मेरे द्वारा रू0 10000.00 भी जमा कराये गये थे, परन्तु अभी तक मेरा बिल ठीक नहीं किया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि आप मेरे विद्युत बिल को सही करवाने तथा जब से मेरी दुकान बन्द है मुझे माह 06/2023 से 08/2024 (मीटर बदले जाने) तक जो भी फिक्स चार्ज है उसके आधार पर बिल निर्गत करवाने की कृपा करें ताकि मेरे द्वारा फिक्स चार्ज के आधार पर सही बिल का भुगतान किया जा सके और जो भी बिल में विलम्ब शुल्क लगा है उसे भी माफ करवाने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 2933, दिनांकित 16/04/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि श्री महिदीप सिंह राणा, निवासी– म0न0 46, लेन नं0–03, न्यू डी ब्लाक सरस्वती विहार अजबपुर खुर्द, देहरादून विद्युत संयोजन सं0 CD67166473413 का मीटर बदला गया है, पूर्व में मीटर आई0डी0एफ0 था जिस कारण पूर्व के बिल आई0डी0एफ0 (औसत) के आधार पर बने है, तथा वर्तमान में नये विद्युत मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल बना है।

उक्त के सबंधं में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 3053, दिनांकित 05/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता श्री महिदीप सिंह राणा का विद्युत बिल विभागीय नियमानुसार CCBR से संशोधन कर स्वीकृति हेतु खण्ड कार्यालय को पत्रांक 3047 दिनांक 03.05.2025 के द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की दिनांक 21/06/2023 से 28/09/2024 अर्थात्

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

465 दिनों में मात्र तीन विद्युत बिल जारी किये गये है जबकि उक्त अवधि में नियामानुसार लगभग 15 विद्युत बिल जारी किये जाने थे। अतः इस प्रकार विपक्षी द्वारा माननीय् मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.2.1** के उपनियम (2) का उल्लंघन है जो की स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। माननीय् नियामक आयोग द्वारा त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग किये जाने हेतु विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.7(1)** में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलंघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को दिनांक 21/06/2023 से 28/09/2024 अर्थात् 465 दिनों में नियामानुसार

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

लगभग 15 विद्युत बिल जारी किये जाने थे, परन्तु कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार मात्र तीन बिल जारी किये गये है , और वह भी औसत के आधार पर जारी किये गये है, जिसपर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि जून 2023 से वर्तमान तक परिवादी की उक्त दुकान खाली है जिस कारण उक्त दुकान पर उक्त अवधि में विद्युत का उपभोग शून्य रहा है, जिसकी पुष्टि विद्युत मीटर बदले जाने के उपरान्त शून्य यूनिट के प्रेषित विद्युत बिलो से भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में मंच का मत है कि विपक्षी दिनांक 21/06/2023 से 28/09/2024 अर्थात् 465 दिनों में नियामानुसार लगभग 15 विद्युत बिल के आधार पर बिल संशोधित करे एवं 15 आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 13 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना तर्कसगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि दिनांक 21/06/2023 से 28/09/2024 अर्थात् 465 दिनों में नियामानुसार लगभग 15 विद्युत बिल के आधार पर बिल संशोधित करे एवं 15 आई0डी0एफ0 बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 13 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा उक्त अवधि में जमा की गई धनराशि संशोधित बिल में समायोजित करे। इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नही

होगा। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है।** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

16/05/2025 | 16/05/25 | 16.05.2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135-2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail - cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 04/2025

श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री जर्नादन प्रसाद
निवासी– भगवान दाश चौक, बालावाला
वार्ड नं0 99, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 09.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरे द्वारा उपरोक्त विद्युत संयोजन फरवरी 2023 में लिया गया था तब से मैं उक्त विद्युत संयोजन के बिल जमा करती आ रही हुँ, परन्तु एकाएक दिसंबर 2024 में जो बिल मुझे प्राप्त हुए वह मेरी वास्तविक विद्युत खपत से कई अधिक राशि के आये, जिसके संबंध में मेरे द्वारा मियांवाला कार्यालय में शिकायत की गई। मियांवाला कार्यालय से मुझे बताया गया कि आपके बिल वास्तविक खपत के आधार पर दिये जायेगें एवं पूर्व में प्रेषित अधिक खपत के बिलों का समायोज भी हो जायेगा परन्तु आज तिथि तक न तो हमारा खराब विद्युत मीटर बदला गया और न ही हमारे पूर्व बिलों को वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित किया गया है, मार्च 2025 को विद्युत बिल मुझे रू0 10572.00 को भेजा गया है पुनः अप्रैल 2025 में लगभग रू0 10000.00 का विद्युत

बिल भेजा गया है, जबकि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि औसत के आधार पर कुल दो से अधिक बिल नहीं वसूल किये जा सकते है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मेरे विद्युत बिलों को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार संशोधित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें ताकि मुझे न्याय मिल सकें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 619, दिनांकित 26/04/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा खराब मीटर को बदलने हेतु शिकायत की गई थी, जिसे मीटर परीक्षणशाला द्वारा दिनांक 25.04.2025 को बदल दिया गया है, नये माह का विद्युत बिल निर्गत होने के उपरान्त, मा0 UERC के रेगुलेशन के अनुसार खपत के आधार पर पूर्व में आई0डी0एफ0 पर निर्गत बिलों को संशोधित किया जायेगा।

उक्त के सबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने अपनी एक अन्य आख्या पत्रांक 685, दिनांकित 07/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के माह जून 2024 के बाद के समस्त बिल फिक्स चार्ज लेतु हुए संशोधित कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई तिथि दिनांक 28.04.2025 को विद्युत बिल संशोधित किये जाने हेतु निर्देर्शित किया गया था जिसके अनुपालनार्थ विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 08.05.2025 को विपक्षी ने आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि उपभोक्ता के माह जून 2024 के बाद के समस्त बिल फिक्स चार्ज लेतु हुए संशोधित कर दिया गया है, जिसके पश्चात् परिवादी का विद्युत बिल ऋणात्म (–13184) रू0 हो गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निरतारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/05/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

09/05/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

09.05.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.G.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 06/2025

श्री महेशा नन्द — परिवादी
निवासी– सारिका प्रधान वाली गली
सेवला कलां, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 20.05.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding non-issuance of permanent electricity connection to him by the respondent ie UPCL.

The Complainant submits and prays as under:-

I am writing to express my disappointment and frustration regarding the non-provision of a permanent electric connection at my residence located near Sansari Mata mandir, Swela Kalan,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

Dehradun despite repeated request and payments. Furthermore, Iam compelled to bring to your notice the unprofessional behavior and irregularities committed by SDO, Turner road, Dehradun . SDO have provided incorrect estimates for pole installation causing delays and additional costs. The estimate was stating the distance from the UPCL pole exceeds 40 meters, requiring a new pole for connection. I initially took a temporary connection, the distance from the UPCL pole was more than 40 meters, and no consumer was provided a connection from the municipal corporation pole at that time. After submitting an affidavit stating that I would pay the estimate cost when applying for a permanent connection, UPCL shifted other consumers' connectons from UPCL poles to municipal poles. Ironically, the distance of municipal poles for other consumers is now beyond 20 meters, whereas mine is only 6 meters. This discrepancy raises concerns about unfair treatment.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 87, दिनांकित 07/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि :–

1. शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 24.01.2025 को नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है। (रजि सं0 477240125023)।

2. दिनांक 12.03.2024 को क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की निरीक्षण आख्या के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत संयोजन हेतु विद्युत भार स्वीकृत कर दिया गया था।

3. दिनांक 12.03.2025 को उपभोक्ता को नये सयोजन हेतु धनराशि जमा कराने हेतु अवगत करा दिया था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा जिन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में बताया गया है कि उन्हें पोल से संयोजन दे दिये गये है, वे सभी उपभोक्ता 40 मीटर के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु शिकायतकर्ता के घर से पोल की दूरी 50 मीटर है। जिसके लिये शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में अस्थाई संयोजन लेते समय शपथ–पत्र विभाग में प्रेषित किया गया था कि उनके द्वारा प्राकलन की धनराशि जमा करा दी जायेगी। परन्तु उनके द्वारा उक्त धनराशि को जमा करने से मना कर दिया गया है। अतः वाद के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता को विद्युत संयोजन UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters Regulation, 2020) के अनतर्गत ही अवमुक्त किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार परिवादी की मूल शिकायत है कि विपक्षी द्वारा उन्हें विद्युत लाईन निर्माण हेतु गलत प्राक्लन प्रेषित किया गया है। मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 08.05.2025 को विपक्षी को परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 19.05.2025 में मंच

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

को अवगत कराया गया है कि अंतिम विद्युत पोल से परिवादी के परिसर की दूरी 46 मीटर है, जिसकी पुष्टी स्वयः परिवादी द्वारा भी सुनवाई के दौरान मंच के सम्मुख की गई। विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित प्राक्कलन UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters Regulation, 2020) की तालिका 3.4 के अनुसार ही बनाया गया है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/05/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

20/5/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

20.05.2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य